

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(11) OF THE EXTRAORDINARY
GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

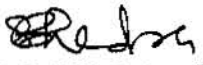
.....

New Delhi, the 9th March, '99.

NOTIFICATION

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by clause (11) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the 15% (Taxable) Secured Redeemable Non-convertible Bonds (13th Series) bearing distinctive numbers from 0000000001 to 0000104182 of Rs. 1,00,000/- each aggregating to an amount of Rupees one thousand forty one crores eighty two lakhs only, issued by Mahanagar Telephone Nigam Limited for the purpose of the said clause.

Notification No. 108/97


(SAMAR BHADRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

(F.No.178/52/97-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(iii) में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, मार्च, ९, 1999

अधिसूचना

फा० अ० अ० साबकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 ठ की उपधारा 1 के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए कुल एक हजार इकतालीस करोड़ ब्याली लाख रुपए मात्र मूल्य के प्रत्येक एक लाख रुपए के 0000000001 से 0000104182 तक की विशिष्ट संख्याओं वाले 15% कराधेय प्रतिभूत विमोच्य अपरिवर्तनीय बांड (अर्थात् श्रृंखला) को विनिर्दिष्ट करती है ।

अधिसूचना सं० 1081/

समर भद्र

वर सचिव, भारत सरकार

फा० सं० 178/52/97-आई.सि.-1

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारतसरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
राजौरी गार्डन के निकट, नई दिल्ली